मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--:: आदेश ::--

भोपाल, दिनांक 26/11/2013

क्रमाक एफ 3-02/2013/सत्रह/मेडि-1:: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित मेट्रन (तृतीय श्रेणी) को परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-2 (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+4200 मे पदोन्नति करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख कालम 04 मे दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ करता है :-

क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना का स्थान
01	02	03	04
1	श्रीमती मैथिलदा भूरिया	जिला चिकित्सालय खरगौन	जिला चिकित्सालय बडवानी
2	श्रीमती गणेशी प्रजापति	ट्रेनिंग सेंटर टीकमगढ	जिला चिकित्सालय सागर
3	श्रीमती रजम्मा मलिक	एम.आर.टी.बी इन्दौर	जिला चिकित्सालय धार
4	श्रीमती एन.राज	जिला चिकित्सालय होशंगाबाद	जिला चिकित्सालय उज्जैन
5	श्रीमती ओमवती गढेवाल	जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर	जिला चिकित्सालय भिण्ड
6	श्रीमती एम मोहेड	टी.बी.सेनीटोरियम छिंदवाडा	जिला चिकित्सालय देवास
7	श्रीमती सीता गजभिये	टी.बी.सेनीटोरियम छिंदवाडा	जिला चिकित्सालय गुना
8	श्रीमती लवलीना सिंह	जिला चिकित्सालय उज्जैन	जिला चिकित्सालय रतलाम
9	कु0 उषा फिलिप	जिला चिकित्सालय बालाघाट	जिला चिकित्सालय छिंदवाडा
10	श्रीमती.आर.नागवंशी	चिकित्सालय होशंगाबाद	जिला चिकित्सालय मुरैना

2/- पदोन्नति अधिकारी मे से किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच /लोकायुक्त / आपराधिक प्रकरण लंबित है या वह निलंबित है, तो उन्हे कार्यमुक्त न करते हुए उसकी सूचना तत्काल इस विभाग को भेजने के लिये कार्यमुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

3/- पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि मे पदोन्नति अधिकारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है । ऐसा न होने की दशा मे समयावधि समाप्त होने के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

4/- प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिये म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति)नियम -2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियम /निर्देशों का पालन किया गया है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

26/11/13

(डा0गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

-2-

पृ.क्रमांक एफ 3–02 / 2013 / सत्रह / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 26 / 11 / 2013

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान0 स्वास्थ्य मंत्री, / राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,विभाग म.प्र.की ओर मान0 मंत्रीजी को अवगत कराने हेतु अग्रेषित।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, / सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ।
3. आयुक्त ,स्वास्थ्य सेवाऐं मध्यप्रदेश भोपाल ।
4. उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक फा.क / 599 / 2013 / चा–क / 794 दिनांक 18.11.2013 के संदर्भ मे सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर / भोपाल / जबलपुर / सागर / ग्वालियर / उज्जैन, मध्यप्रदेश ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला खरगौन / टीकमगढ / इन्दौर / होशंगाबाद / नरसिंहपुर / छिन्दवाड / उज्जैन / शिवपुरी / बालाघाट / बडवानी / सागर / धार / भिण्ड / देवास / गुना / रतलाम / छिन्दवाडा / मुरैना मध्यप्रदेश ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला खरगौन / टीकमगढ / इन्दौर / होशंगाबाद / नरसिंहपुर / छिन्दवाड / उज्जैन / शिवपुरी / बालाघाट / बडवानी / सागर / धार / भिण्ड / देवास / गुना / रतलाम / छिन्ददाड। / मुरैना मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित ....
9. विभागीय जांच / स्टाफ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

26/11/13

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग